

वन विभाग

विविध

10 फरवरी, 1960

संख्या- 1115/XIV - 331-50 उत्तरप्रदेश के राज्यपाल महोदय का मत है कि इण्डियन फारेस्ट एक्ट 1927 (एक्ट - XVI/ 1927) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित जांच तथा अभिलेख करने में इतना अधिक समय लगेगा कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकारों को खतरा हो सकता है।

अतएव उपर्युक्त उप धारा के प्रतिबन्धक द्वारा और उपर्युक्त एक्ट की धारा-80 ए के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि इस प्रकार जांच तथा अभिलेख करने तक उक्त एक्ट के अध्याय 4 के उपलब्ध संलग्न अनुराची में उल्लिखित भूमि पर लागू होंगे।

जिला	मार्ग का नाम	दूरी मील, फलांग व फीट में	विवरण
जौनपुर	1. लखनऊ बनारस रोड	165 से 176 तक	भूमि का सीमा पत्थरों द्वारा अंकित की गई
	2. यादशाहपुर रेलवे फील्ड रोड	0 से 2 फलांग 545 फीट	
	3. लाइन बाजार नईगंज बाईपास रोड	1 मील 3 फलांग 266 फीट तक है।	
	4. मिर्जापुर जौनपुर रोड	25 मील 1 फलांग 177 फीट तक	
	5. लखनऊ बलिया रोड	18 मील 1 फलांग 135 फीट तक	
	6. जौनपुर शाहगंज अकबरपुर	21 मील 1 फलांग 447 फीट तक	
	7. इलाहाबाद गोरखपुर रोड	9 मील 1 फलांग 491 फीट तक	
	8. मछलीशहर-जंघई रोड	12 मील 1 फलांग 1 फीट तक	
	9. जौनपुर प्रतापगढ़ रोड	24 से 27 मील 6 फलांग 520 फीट	
	10. लालसराय दीदारगंज रोड	0 से 6 मील 5 फलांग 150 फीट	
	11. अगबरपुर मुटठीगंज रोड	1 मील 3 फलांग 440 फीट	
	12. शाहगंज तिकोलिया रोड	0 से 7 मील 3 फलांग 280 फीट	
	13. मीनपुर रेलवे स्टेशन मार्ग	0 से 60 फलांग 280 फीट	
	14. मीनपुर काड़ा सी०सी० फफरा	5 फलांग 73 फीट से 9 फलांग 20 फीट तक।	
	15. सराय	0 से 4 मील 4 फलांग 591 फीट	
	16. लिंग रोड	0 से 2 फलांग 121 फीट तक	
	17. रेलवे फिडर रोड	0 से 14 फलांग 447 फीट तक	
	18. बनारस आजमगढ़ रोड	0 से 23 मील 1 फलांग 40 फीट	
याराणसी	1. बनारस बलिया रोड	मील 1 से मील 5 तक	
	2. सारनाथ रोड	1 मील 2 फलांग तक	
गाजीपुर	1. बनारस बलिया रोड	20 से 47 मील तक	
	2. गाजीपुर-गोरखपुर रोड	65 से 85 मील तक	
	3. बनारस बलिया रोड	47 से 70 मील तक	
	4. मृगहरा आड रोड	1 से 2 (फलांग-2) तक	

डा. जयप्रकाश प्रसाद

समिति के अध्यक्ष
समिति के सदस्य
जौनपुर